कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

/ /आदेश/ /

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1922/2021 बिलासपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1902/2021 दिनांक 18 अप्रैल, 2021 सहपठित आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1914/2021 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं आदेश कमांक /रीडर–जि0दण्डा0/1918/2021 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के माध्यम से बिलासपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26/04/2021 रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बिलासपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

बिलासपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने पर तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1902/2021 दिनांक 18 अप्रैल, 2021 सहपठित आदेश कमांक/रीडर–जि0दण्डा0/1914/2021 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं आदेश कमांक /रीडर–जि0दण्डा0/1918/2021 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 को अधिकमित करते हुए मैं, डॉ0 सारांश मित्तर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1– बिलासपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06/05/2021 प्रातः 06:00 बजे तक पूर्ववत कन्टेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

2– उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे।

3– शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़–भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

4– सभी प्रकार की मण्डियॉ तथा थोक/फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बन्द रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में

25/04/21

Scanned with CamScanner

लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक दी जाती है।

5— फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 07:00 बजे से अपरान्हः 12:00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वाले/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकाने खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे।

उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से, प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक, होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेण्ट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय /ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जप्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

6— पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए0टी0एम0 कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेन्स, होम डिलीवरी, एल0पी0जी0 परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी0ओ0एल0 प्रदान किया

25/04/21

Scanned with CamScanner

जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

7— अत्यावश्यक परिहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप/ऑटोपार्ट्स/ गैरेज/टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा/रेस्टोरेण्ट (केवल टेकअवे) हेतु तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामग्रियां के विक्रय की दुकाने (यथा अंतिम संस्कार के कार्यो से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।

8— दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि निम्नानुसार होगी—

	विवरण	समयावधि	
क	दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण	प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक,	सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक
ख	न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों का वितरण	प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक	सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक

उक्त समयावधि में दुग्ध पार्लर एवं दुग्ध वितरक को केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

9— पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशुचारे के लोडिंग—अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति भी होगी।

10— एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर की एजेन्सियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।

11— औद्योगिक संस्थानों एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे सड़क निर्माण एवं तिफरा रेलवे ओव्हरब्रिज का निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होगा।

12— अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बॉयलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय—समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्तो पर संचालित रहेंगे।

13— उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।

25/04/21

Scanned with CamScanner

14— सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पयर्टन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गयी समस्त अनुमतियों को निरस्त किया जाता है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है।

15— पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।

16— उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्ध—सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख—रखाव से जुड़े कार्यालय /वर्कशॉप, रेक प्वाईट पर लोडिंग—अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन, एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी किन्तु अस्पताल एवं ए0टी0एम0 पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

17— उपरोक्त अवधि के दौरान को—मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब—बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक—शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम कैश रि—फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन—देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन—देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन—देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन—देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

25/04/21

Scanned with CamScanner

18— सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

19— कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

20— उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने–जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने–जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई–पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख –रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड ई–पास के रूप में मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किये जाएंगे।

21— कोविड–19 टीकाकरण हेतु समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड–19 टीकाकरण एवं जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

22— आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलेव स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

23— मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

24— यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय

25/04/21

Scanned with CamScanner

7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
8. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बिलासपुर जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
14. सर्व थाना प्रभारी .... जिला बिलासपुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. उप संचालक, जनसंपर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. .... समस्त आम जनता, जिला बिलासपुर द्वारा उप संचालक, जनसम्पर्क, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

25/04/21.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner